निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 03/2020 (रसद अपील)

राधेश्याम सैनी पुत्र श्री हरिनारायण जाति सैनी निवासी प्लाट नं. 698 अजमेर रोड, जयपुर उचित मूल्य दुकान एफ पी एस–424 जयपुर शहर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 17.12.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 424 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र संख्या निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं 80 किलो गेहूं का बाजार मूल्य 1600/–रूपये राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के.डी. अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.03.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी राधेश्याम सैनी उचित मूल्य दुकान दार दुकान संख्या 424 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 17.12.2019 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं 80 किलो गेहूं का बाजार मूल्य 1600/–रूपये राजकोष मे जमा कराने के आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत उचित मूल्य दुकान संख्या 424 जयपुर शहर के लिए प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता है जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 10.10.2019 को नोटिस/आदेश द्वारा 80 किलोग्राम गेहूं का बाजार मूल्य 1600/–रूपये राजकोष में जमा कराने का अपीलार्थी को आदेश दिया तथा राशन कार्ड संख्या 119002011226 में माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक अन्य व्यक्ति के आधारकार्ड का प्रयोग कर 80 किलो गेहूं उठाए जाने हेतु स्पष्टीकण चाहा गया। दिनांक 14.10.2019 को जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी से 1600/–रूपये चालान बना कर जमा करवा लिये। यद्यपि जिला रसद अधिकारी ने नोटिस के साथ रिपोर्ट आदि जिनके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओं नोटिस जारी किया उनकी प्रतियां अपीलार्थी को नही दी, लेकिन तत्काल अपीलार्थी ने दिनांक 31.12.2019 को नोटिस का प्रत्युत्तर कर निवेदन किया कि " उचित मूल्य दुकान संख्या 424 में राशनकार्ड संख्या 119002011226 में माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक गलत आधार राशन कार्ड में पहले से ही अंकित था। मेरे द्वारा गलत आधार फीड नहीं किया गया । ओ टी पी से उपरोक्त राशन सामग्री दी गई । " दिनांक 31.10.2019 के बाद अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और ना तो अपीलार्थी की कोई साक्ष्य ली और ना कोई सुनवाई की। दिनांक 07.01.2020 को अपीलार्थी को मालुम हुआ कि जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 17.12.2019 को इकतरफा में आलोच्य आदेश पारित किया है। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 04.10.2019 को ही अपीलार्थी को दोषीमान कर गेहूं की बाजार कीमत वसूल करने का आदेश कर उससे गेहूं की कीमत जमा करवा ली, इसलिए उनका निर्णय लेने के बावजूद अपीलार्थी से लिखित स्पष्टीकरण मांगना एक औपचारिकता थी। यानि जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही उसके विरूद्व निर्णय पारित करने का मानस पूर्व में ही बना लिया था जिससे जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 17.12.2019 पूर्ण रूप से अवैद्य निर्णय है। यानि अपीलार्थी को एक ही आरोप पर दो बजार सजा दी गई है जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी के विरूद्व आरोप यह नही है कि उसके द्वारा गेहूं का वितरण नहीं किया गया या उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दिया । जिन राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं द्वारा गेहूं उठाया गया या जिन अधिकारियों ने उनके नाम भामाशाह कार्ड बनाये, उन्हें बिना साक्ष्य मे बुलाये तथा उनसे जांच किये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राशन कार्ड संख्या 119002011226 के मालिक/मुखिया नन्दलाल सैनी को भी जांच हेतु नहीं बुलाया और वह आधार जिसे फर्जी बताया गया है, के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी ने कोई जांच न कर एक तरफा निर्णय पारित किया है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए आते है, जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही गेहूँ दिया जाता है। किसी कारणवश सत्यापन नहीं होने पर आधार के द्वारा मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त

जिला कलक्टर
जयपुर

करके पोस मशीन में डाल कर सत्यापन करके उपभोक्ता को गेहूँ दिया जाता है। पोस मशीन मे पहले से ही आधार कार्ड अंकित है। मेरे द्वारा पोस मशीन मे आधार कार्ड अंकित नही किये गये है। इसलिए मेरे द्वारा गेहूं का गबन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अपीलार्थी के जवाब पर विचार किये बिना पारित किया है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो परिवादी का परीक्षण किया ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का मौका दिया, ना राशन कार्ड जब्त किया, ना प्राधिकार पत्र जब्त किया और ना ही कोई जांच की। यहां तक कि राशन कार्डधारक को भी नही बुलाया । आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के प्रावधान के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक राशनकार्डो पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ के विक्रय या वितरण पर इन्कार नहीं कर सकता तथा शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त वितरण का इन्दाज प्राधिकारधारक राशनकार्डो मे निर्धारित स्थानों पर करने को पाबन्द है। आदेश 1976 के उक्त प्रावधान सर्वोपरि है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहूं का विक्रय राशनकार्डधारक को किया गया है। जिसका इन्दाज उपभोक्ता के राशन कार्ड में दर्ज है। राशन कार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर भी दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। खाद्य विभाग एवं नागरिक विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2015 द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को डिजीटिल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन उक्त आदेशों की ना तो कोई पालना की गई और ना ही किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को पोस मशीन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने अन्य अनेक मामलों में उक्त अनियमितता के लिए केवल मात्र गेहूं की कीमत जमा करा कर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी के निम्न मामले–(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार मीणा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिंह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया उल्लेखनीय है। उक्तानुसार एक ही प्रकार के आरोप पर जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया है और उनसे गेहूं की कीमत जमा करा ली गई है, तब अपीलार्थी से गेहूं की कीमत जमा कराने के बावजूद उसके प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, यह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के मामलो मे दो अलग अलग निर्णय पारित नही किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशनकार्ड संख्या 119002011226 में परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति का आधारकार्ड लिंक करके गेहूँ का अवैद्य आहरण किया गया है। एफपीएस डीलर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधारकार्ड लिंक करके गेहूं की सही सही निकासी करे। आधार कार्ड लिंक करने का कार्य भी एफ पी एस डीलर द्वारा ही किया जाता है। राशन कार्ड संख्या 119002011226 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्तियों के आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की प्रतिमाह अवैद्य निकासी राशन डीलर की लिप्तता के बिना सम्भव नही है। दुकानदार का जबाव संतोषप्रद नही है। राशन डीलर ने अपने बचाव में जबाव के साथ राशनकार्ड संख्या 119002011226 में मुखिया नन्दलाल सैनी के असली आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत नही कर राशनकार्ड में फर्जी आधार कार्ड लिंक होने के तथ्य को स्वीकार किया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा डीलर द्वास अवैद्य रूप से निकाले गये गेहूं के बाजार मूल्य की वसूली की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशनकार्ड संख्या 119002011226 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति का आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की निकासी कर किये जाने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड संख्या 119002011226 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये । इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाया गया है ? क्या आधारकार्ड किसी डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई–मित्र केन्द्र द्वारा, यह भी एक जांच का विषय है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा करके छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के

ला कलक्टर
जयपुर

विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें । आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुना गया । 15/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर